be difficult to collect information with regard to the expenditure incurred by banks for recovery of their dues. The banks management look into any complaint about unnecessary harassment or excesses allegedly committed by their officials in realising the dues including the auctioning of pledged jewellery;

स्टेट बैंक आफ इंदौर के लाभ तथा हानियां

160. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 अप्रैल, 1993 की स्थिति के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंदौर की कुल कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) इन शाखाओं में से कितनी शाखाओं ने चालू वर्ष के दौरान (1 अप्रैल, 1993 की स्थिति के अनुसार) लाभ अर्जित किया तथा प्रत्येक शाखा द्वारा अर्जित किए गए लाभ का अलग-अलग ब्यौरा क्या है और कितनी शाखाओं (शहरी तथा ग्रामीण) को उक्त अवधि के दौरान हानि हुई है; और

(ग) उक्त शाखाओं को हुई हानियों के क्या कारण हैं तथा कुल हानियों के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) 31 मार्च, 1992 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार देश में स्टेट बैंक आफ इंदौर की 335 शाखाएं कार्यरत हैं ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के दौरान उपर्युक्त में से 56 शाखाओं ने घाटा उठाया । इन शाखाओं का शाखावार ब्यौरा विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए) । लाभ अर्जित कर रही शाखाओं के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि इन शाखाओं के घाटे में चलने के निम्नलिखित कारण हैं : कारबार का निम्न स्तर, प्रतिकूल अवस्थिति, अपेक्षाकृत अधिक औसत स्टाफ लागत, ग्रामीण और शहरी केन्द्रों में कुल अग्रिमों की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अधिक प्रतिशत घाटे ।

विवरण

31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए स्टट बैंक आफ इन्दौर की 56 शाखाओं के शाखावार घाटे

क्रम सं०	शाखा का नाम	जनसंख्या समूह	घाटे की राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3	4
1.	मोयदा . . .	ग्रामीण	1.34
2.	पुरनी . . .	तदैव	1.17
3.	मालवान . . .	,,	0.84
4.	उमरखली . . .	,,	0.04
5.	अर्सिदर . . .	,,	1.64
6.	कारमेड . . .	,,	1–30

1	2	3	4
7.	नान्देल	ग्रामीण	1.43
8.	पांडु तालाब	,,	1.29
9.	जन्तला	,,	1.90
10.	जाबी	,,	00.48
11.	सैलाना	,,	1.48
12.	धौंधर	,,	0.11
13.	पालोद	,,	1.59
14.	मोछ	,,	1.35
15.	अमोरा	,,	1.79
16.	दोहागपुर	,,	1.35
17.	भोथिया	,,	0.92
18.	सदगुनवा	,,	0.92
19.	उछोड	,,	0.43
20.	आक्या चौहानी	,,	1.15
21.	काटा	,,	1.12
22.	अजनार	,,	1.76
23.	कचनवकला	,,	1.64
24.	रिठोना	,,	1.05
25.	भालका	,,	0.42
26.	सहसराम	,,	0.85
27.	कामतराइ	,,	1.30
28.	मृगपुरा	,,	0.51
29.	रामपहाड़ी	,,	0.68
30.	रतवै	,,	0.69
31.	लालोनी	,,	0.67
32.	कदवाया	,,	0.61
33.	दमरोनकलां	,,	0.91
34.	फुलखेड़ी	,,	1.02
35.	सरसखेड़ी	,,	0.99
36.	नरउ	,,	1.03
37.	मलहवानि	,,	0.50
38.	ओंडर	,,	0.79
39.	सदियाकुआ	,,	1.00

1	2	3	4
40.	सेवा शाखा ईंदौर . .	शहरी	18.42
41.	आगरा . . .	,,	2.59
42.	इलाहाबाद . . .	,,	4.16
43.	सूरत . . .	,,	6.29
44.	औद्योगिक वित्त शाखा ईंदौर .	,,	2.57
45.	नेमी नगर, इंदौर . .	,,	0.89
46.	फजलपुरा, उज्जैन . .	,,	0.21
47.	मथुरा . . .	,,	0.61
48.	महाराना प्रताप नगर, भोपाल .	,,	0.99
49.	बीकानेर . . .	शहरी महानगरीय	1.93
50.	सेवा शाखा, बम्बई . .	,,	15.83
51.	भुलेश्वर, बम्बई . .	,,	12.28
52.	नहवा सुवा पोर्ट . .	,,	2.71
53.	मालाड, बम्बई . . .	,,	0.76
54.	ग्रैटर कैलाश–II, नई दिल्ली .	,,	0.21
55.	औद्योगिक वित्त शाखा, बम्बई .	,,	0.12
56.	टिमकी, नागपुर . .	,,	0.99
	बैंक जोड़ . .		111.62

Murder of Custom Officer at Allahabad Division

161. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri L. D. Arora, Additional Collector of Customs & Excise, Allahabad Division was murdered allegedly by the men of Memon brothers involved in the recent Bombay blasts;

(b) whether it is a fact that he was the target because he was having information about landing of explosives in the Coastal areas;

(c) whether any investigation has been conducted into his murder; if so, what are the details thereof;

(d) whether it is a fact that he was an honest and sincere officer and he was murdered while on duty; and

(e) if so, whether any compensation has been paid to the dependents of the deceased officer, if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) to (d) As per FIR under Section 302 IPC lodged by his nephew, Shri L. D. Arora,